



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2016/ज्येष्ठ 19, 1938

No. 404]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2016/ JYAISTHA 19, 1938

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2016

सा.का.नि. 590(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371घ के खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्र प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रवेश विनियमन) आदेश, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रवेश विनियमन) संशोधन आदेश, 2016 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. आंध्र प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रवेश विनियमन) आदेश, 1974 के पैरा 4 में, उप पैरा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) उप पैरा (1) या उप पैरा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, ऐसा कोई अभ्यर्थी जो 2 जून, 2014 से तीन वर्ष की अवधि के भीतर तेलंगाना राज्य से आंध्र प्रदेश राज्य के किसी भाग में प्रव्रजन करता है, उसके निवास के स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थानीय अभ्यर्थी के रूप में समझा जाएगा और ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो शिक्षा के प्रयोजन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएं, उस क्षेत्र में निवास कर रहे स्थानीय अभ्यर्थियों के समान माना जाएगा।”।

[फा. सं. 21013/01/2015-एसआर]

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम से,

दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 299(अ), तारीख 1 जुलाई, 1974 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना सं. 459(अ), तारीख 19 जुलाई, 1976 और सा.का.नि. 898(अ), तारीख 25 नवंबर, 1976 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 09th June, 2016

G.S.R. 590(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (1) and (2) of article 371 D of the Constitution, the President hereby makes the following Order further to amend the Andhra Pradesh Educational Institutions (Regulation of Admissions) Order, 1974, namely:-

1. (1) This order may be called the Andhra Pradesh Educational Institutions (Regulation of Admissions) Amendment Order, 2016.
- (2) It shall come into force at once.
2. In the Andhra Pradesh Educational Institutions (Regulation of Admissions) Order, 1974, in paragraph 4 after sub-paragraph (2) and before the Explanation, the following sub-paragraph shall be inserted, namely :-

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) or (2), a candidate who migrates to any part of the State of Andhra Pradesh from the State of Telangana within a period of three years from the 2nd day of June, 2014 shall be regarded as the local candidate in the State of Andhra Pradesh at the place of his residence and be treated at par with the local candidates residing in that area, in accordance with such guidelines as may be issued by the Government of Andhra Pradesh for the purpose of education.”

[F. No. 21013/01/2015-SR]

By Order and in the Name of the President,

DILIP KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 299(E), dated the 01st July, 1974 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 459(E), dated the 19th July, 1976 and G.S.R. 898(E), dated the 25th November, 1976.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2016

सा.का.नि. 591(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371घ के खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्तियों का विनियमन) आदेश, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्तियों का विनियमन), संशोधन आदेश, 2016 है।
- (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्तियों का विनियमन) आदेश, 1975 के पैरा 7 में, उप पैरा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) उप पैरा (1) या उप पैरा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, ऐसे अभ्यर्थी जो 2 जून, 2014 से तीन वर्ष की अवधि के भीतर तेलंगाना राज्य से आंध्र प्रदेश राज्य के किसी भाग में प्रव्रजन करते हैं, उसके निवास के स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थानीय अभ्यर्थी के रूप में समझे जाएंगे और ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो नियोजन के प्रयोजन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएं, उस क्षेत्र में निवास कर रहे स्थानीय अभ्यर्थियों के समान माने जाएंगे।”।

[फा. सं. 21013/01/2015-एसआर]

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम से,

दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 524(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 1975 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था:

- (1) सा.का.नि. 850(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 1976
- (2) सा.का.नि. 78(अ), तारीख 22 फरवरी, 1977
- (3) सा.का.नि. 186(अ), तारीख 16 जुलाई, 1977
- (4) सा.का.नि. 392(अ), तारीख 22, जून, 1977
- (5) सा.का.नि. 648(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 1977
- (6) सा.का.नि. 5(अ), तारीख 1 जनवरी, 1981
- (7) सा.का.नि. 525(अ), तारीख 28 जून, 1985
- (8) सा.का.नि. 1121(अ), तारीख 18 नवंबर, 1986
- (9) सा.का.नि. 742(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 1993
- (10) सा.का.नि. 29(अ), तारीख 10 जनवरी, 2000
- (11) सा.का.नि. 106(अ), तारीख 5 फरवरी, 2000
- (12) सा.का.नि. 1219(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2001
- (13) सा.का.नि. 620(अ), तारीख 30 सितंबर, 2005
- (14) सा.का.नि. 621(अ), तारीख 30 सितंबर, 2005
- (15) सा.का.नि. 142(अ), तारीख 2 मार्च, 2009
- (16) सा.का.नि. 621(अ), तारीख 12 अगस्त, 2011

ORDER

New Delhi, the 9th June, 2016

G.S.R. 591(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (1) and (2) of article 371D of the Constitution, the President hereby makes the following Order further to amend the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, namely:-

1. (1) This order may be called the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Amendment Order, 2016.
- (2) It shall come into force at once.

2. In the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, in paragraph 7, after sub –paragraph(2) and before the Explanation, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) or (2), candidates who migrate to any part of the State of Andhra Pradesh from the State of Telangana within a period of three years from the 2nd day of June, 2014 shall be regarded as the local candidate in the State of Andhra Pradesh at the place of his residence and be treated at par with the local candidates residing in that area, in accordance with such guidelines as may be issued by the Government of Andhra Pradesh for the purpose of employment. ”.

[F. No. 21013/01/2015-SR]

By Order and in the Name of the President,

DILIP KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 524(E), dated the 18th October, 1975 and subsequently amended vide following notifications:

- (1) G.S.R. 850(E), dated the 18th October, 1976
- (2) G.S.R. 78(E), dated the 22nd February, 1977
- (3) G.S.R. 186(E), dated the 16th July, 1977
- (4) G.S.R. 392(E), dated the 22nd June, 1977
- (5) G.S.R. 648(E), dated the 17th October, 1977
- (6) G.S.R. 5(E), dated the 01st January, 1981
- (7) G.S.R. 525(E), dated the 28th June, 1985
- (8) G.S.R. 1121(E), dated the 18th November, 1986
- (9) G.S.R. 742(E), dated the 15th October, 1993
- (10) S.O. 29(E), dated the 10th January, 2000
- (11) S.O. 106(E), dated the 05th February, 2000
- (12) S.O. 1219(E), dated the 13th December, 2001
- (13) G.S.R. 620(E), dated the 30th September, 2005
- (14) G.S.R. 621(E), dated the 30th September, 2005
- (15) G.S.R. 142(E), dated the 02nd March, 2009
- (16) G.S.R. 621(E), dated the 12th August, 2011